राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4494/2024

किशन लाल सुथार पुत्र श्री भगवान लाल सुथार, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी डिंगरकिया महुदा, उदयपुर जिला उदयपुर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, (भूमि अभिलेख), उदयपुर।
3. तहसीलदार, (भूमि अभिलेख), तहसील मावली, जिला उदयपुर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विजय बिश्नोई
प्रतिवादी(ओं) के लिए: सुश्री मीनल सिंघवी
श्री राजेश पंवार, एएजी के लिए

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

27/03/2024

1. दिनांक 22.02.2024 के उस आदेश से व्यथित होकर, जिसके तहत याचिकाकर्ता को पटवार मंडल थामला तहसील घासा से रिक्त पद पर पटवार मंडल बोयना तहसील मावली में स्थानांतरित किया गया है, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया है कि

स्थानांतरित आदेश स्थानांतरण नीति और राजस्थान भूमि राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 9 और नियम 412 का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले स्थानांतरित किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधान है कि एक पटवारी को सामान्यतः एक पदस्थापन स्थान से दो वर्ष की अवधि से पहले स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने राजपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 544/2021, दिनांक 18.03.2021 को निर्णीत तथा इंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: (2007) 1 आर.एल.डब्लू. (राजस्थान) 737 में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

4. इसके विपरीत, मेरा ध्यान इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दाल चंद जाट बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3112/2024, दिनांक 05.03.2024 को निर्णीत निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है। इसका प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “5. जहां तक आक्षेपित आदेश के 1957 के नियम 9 और नियम 412 के उल्लंघन का सवाल है, इस न्यायालय की खंडपीठ ने गोपालराम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 53/2020 (28.01.2020 को निर्णीत) के मामले में समान परिस्थितियों में और उक्त दो प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए निम्नानुसार माना:-
>
> > “12. अपीलकर्ता के इस तर्क पर आते हुए कि जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण आदेश नियम 9 (ii) और नियम 412 के प्रावधानों का उल्लंघन है, नियम 9 और नियम 412 के संयुक्त वाचन से संकेत मिलता है कि पटवारी को सामान्य रूप से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर, उसे हमेशा तब स्थानांतरित किया जा सकता है जब कार्य की दक्षता के हित में या पटवारी की लंबी छुट्टी, इस्तीफा, बर्खास्तगी, निलंबन या स्थानांतरण से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक माना जाता है। यह कहना पर्याप्त है कि प्रशासनिक आवश्यकता के अलावा, पटवारी को

विभिन्न आकस्मिकताओं के कारण उत्पन्न रिक्त पद को भरने के लिए भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार, रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक आवश्यकता के कारण, यदि जिले के भीतर पटवारी के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है, तो किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्य की दक्षता के हित में आवश्यकता के संबंध में संतुष्टि दर्ज किए बिना जिला कलेक्टर द्वारा पारित किया गया आदेश, नियम 9 (ii) और 1957 के नियम 412 के प्रावधानों का उल्लंघन है। वास्तव में, आदेश से ही यह पता चलता है कि रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक आवश्यकता के कारण स्थानांतरण किए गए हैं।

13. बेशक, उप-मंडल, जिला, संभाग या राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पटवारी का स्थानांतरण नियम 1957 के नियम 9 द्वारा विनियमित होता है, जो किसी भी स्थान पर किसी विशेष अवधि की नियुक्ति पूरी होने से पहले पटवारी के स्थानांतरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद पटवारी के स्थानांतरण के लिए जारी परिपत्र/निर्देश, दिशा-निर्देशों की प्रकृति के हैं, जो लागू करने योग्य नहीं हैं और उन्हें सुझाए गए तरीके से नहीं समझा जा सकता है, ताकि नियम 9 के तहत प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता या निर्दिष्ट अन्य आकस्मिकताओं के लिए पटवारी को स्थानांतरित करने की शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त निर्देशों के बावजूद, सशक्त प्राधिकारी नियम 9 के अनुसार प्रशासनिक आवश्यकता के लिए किसी भी समय पटवारी को स्थानांतरित कर सकता है। यह अलग बात है कि प्रशासनिक आवश्यकता के अभाव में भी, स्थानांतरणीय पद धारण करने वाले कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा अपनी मर्जी से बार-बार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, किसी भी तरह से यह अनुमान

नहीं लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के स्थानांतरित किया गया है और यह अपीलकर्ता का मामला भी नहीं है कि उसे बार-बार स्थानांतरित किया गया है।

6. गोपालराम (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित अनुपात की कसौटी पर निर्णय लेते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को रिक्त पद के लिए स्थानांतरित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह 1957 के नियमों के नियम 9 के पूरी तरह अनुरूप है जिसके तहत एक कलेक्टर को रिक्त पद को भरने के लिए पटवारी को स्थानांतरित करने का अधिकार है।

7. गोपालराम (सुप्रा) के मामले में निर्धारित अनुपात के मद्देनजर, इस न्यायालय को विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।"

5. मैं उपरोक्त दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूँ। साथ ही, वर्तमान मामले के तथ्यों में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए दोनों निर्णय लागू नहीं होते हैं।

6. गोपालराम (सुप्रा) के मामले में निर्धारित अनुपात का पालन करते हुए दल चंद (सुप्रा) में पारित निर्णय के मद्देनजर, इस न्यायालय को विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

7. तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

8. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।